मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्र. ...-23/2008/20-3, भोपाल, दिनांक ...

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय:- अशासकीय संस्था - अरुणाचल पब्लिक स्कूल, ... सिवनी, ... सिवनी म.प्र. ... सी.बी.एस.ई./~~आई.सी.एस.ई.~~ नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बावत् ।

=====

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था- अरुणाचल पब्लिक स्कूल, ... जिला- सिवनी (म.प्र.) को सी.बी.एस.ई./~~आई.सी.एस.ई.~~ ... दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर ... जाता है:-

प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जावे ।

(2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के ... सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा ... के लिये खेल का मैदान उपलब्ध ... अनुसार उपलब्ध करायेंगे । इस ... जावे ।

(3) इन संस्थाओं के संचालन में ... पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधि... करने का अधिकार होगा ।

सचिव
तन्मय शिक्षा समिति
सिवनी (म.प्र.)

PRINCIPAL
Arunanchal Public School Seoni

PRINCIPAL
Arunanchal Public School
SEONI (M P)

PRINCIPAL
Arunanchal Public School
SEONI (M P)

4. केन्द्रीय [illegible] शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का वचन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा।

5. संस्था [illegible] प्रबंध कारिणी समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक [illegible]तिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक [illegible] नों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं [illegible] भूमिका प्रदान करेंगे।

7. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।

8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।

10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ज्वलनशील ईंधन जैसे घरेलू एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।

निरंतर- 3पर

सचिव
सन्मय शिक्षा समिति
सिवनी (म.प्र.)

PRINCIPAL
Arunanchal Public School
SEONI (M P)

PRINCIPAL
Arunanchal Public School
SEONI (M P)

PRINCIPAL
[illegible] Seoni

11. निःशक्त छात्रों के लिए संस्था को रैम्प की [illegible] आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्ही पुस्तकों का संग्रह नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

([illegible])
अपर सचिव
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 73-23/2008/20-3, भोपाल, दिनांक 17-03-08
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म. प्र. भोपाल
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - सिवनी (म. प्र.)
3. प्राचार्य, अशासकीय शिक्षण संस्था - अरुणाचल पब्लिक स्कूल [illegible], सिवनी, जिला - सिवनी (म. प्र.)
4. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

सचिव
तन्मय शिक्षा समिति
सिवनी (म.प्र.)

PRINCIPAL
Arunanchal Public School
SEONI (M P)

PRINCIPAL
Arunanchal Public School Seoni

PRINCIPAL
Arunanchal Public School
SEONI (M P)